न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–65/2018
CIS No.-TS 48/2019

रहमान मियां..वादी

बनाम

फरियाद मियां एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
16.09.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–01 ता 01(घ) की ओर से एक आवेदन दिनांक 08.08.2025 को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रस्तुत वाद के मूल प्रतिवादी रसीद मियां द्वारा दिनांक 06.09.2019 को अपना ब्यान तहरीरी दाखिल किया गया है, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। प्रतिवादी रसीद मियां के मरने के बाद उनके विधिक वारिसान के रूप में उनके पुत्रों को प्रतिवादी सं0–01 ता 01(घ) को स्व0 रसीद मियां के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है तथा सभी प्रतिस्थापित प्रतिवादी दिनांक 19.06.2025 को इस वाद में हाजिर हो चुके है। प्रतिवादी सं0–01 ता 01(घ) अपने पिता स्व0 रसीद मियां द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को ही अपना ब्यान तहरीरी स्वीकार करते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि पूर्व में मूल प्रतिवादी रसीद मियां द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को ही प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01 ता 01(घ) का भी ब्यान तहरीरी मानने की कृपा करें। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–01 ता 01(घ) के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।	

न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–65/2018
CIS No.-TS 48/2019

रहमान मियां...वादी

बनाम

फरियाद मियां एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **16.09.2025**	अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद ब्यान तहरीरी हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–01 ता 01(घ) निवेदन करते है कि वाद के मूल प्रतिवादी रसीद मियां द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को ही प्रतिवादी सं0–01 ता 01(घ) का ब्यान तहरीरी माना जाए। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01 ता 01(घ) वाद के मूल प्रतिवादी रसीद मियां के विधिक वारिसान है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0–01 ता 01(घ) का आवेदन न्यायसंगत है और इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में प्रतिवादी सं0–01 ता 01(घ) का आवेदन दिनांक 08.08.2025 को स्वीकार किया जाता है। वाद दिनांक 10.11.2025 को ब्यानतहरीरी वास्ते नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	